प्रेस नोट **दिनांक 13.01.2026**

दो नफर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार कब्जे से विभिन्न बाण्ड के अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 50000/- रू0 व एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी टाटा पंच कार बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.01.2026 को SSI अजीत कुमार चौधरी मय हमराह के क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया की दो व्यक्ति एक कार में अवैध अंग्रेजी शराब छुपा कर बिहार लेकर बेचने के लिए जा रहे है, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मतलूपुर मोड़ पर घेरा बन्दी करके एक टाट पंच कार न0 BR 28 AE 0689 (बदला हुआ नम्बर) को रोककर चेक किया गया तो दो व्यक्ति मौजूद मिले, जिनको कार से उतार कर चेक किया गया तो कार में छुपा कर रखे आफ्टर डार्क ब्लू 180 ML की कुल 140 प्लास्टिक की शीशी , ब्लैक बकार्डी 750 ML की कुल 11 बोतल, सिग्नेचर 750 ML की कुल 11 बोतल कुल 42 लीटर अवैध अँग्रेजी शराब बरामद हूई । जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रूपये है । बरामदग अवैध अंग्रेजी शराब के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बता रहे है कि कार का वास्तविक नम्बर BR 28 AF 0689 है, जिसको पकड़े जाने के डर से नम्बर बदल दिया गया था तथा कार में बरामद शराब को देवरिया जनपद से खरीद कर बिहार लेकर बेचने के लिए जा रहे थे तथा पूर्व में कई बार देवरिया के विभिन्न ठेको से अंग्रेजी शराब ले जाकर बिहार में बेच चुके है तथा हम लोगो को एक चक्कर में 20 हजार रूपये का फायदा होता, इस रास्ते से हम पहली बार जा रहे थे क्योंकि मु0बाद गोहना में हमें एक दोस्त से मिलना था तथा उसके बाद गाजीपुर होते हुए बिहार जा रहे थे । पकड़े गये व्यक्तियो को उनके जूर्म धारा 60/63/72 EX. ACT व 319(2)/318(4)/336(3)/338 बी0एन0एस0 से अवगत कराते हुए समय 04.40 बजे मतलूपुर हाइवे सर्विस रोड से गिरफ्तार कर लिया गया तथा बरामद अवैध शराब को कब्जा पुलिस में लिया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. रमन कुमार पुत्र प्रेम शंकर शाह
2. राहित राय पुत्र व्याश राय निवासीगण दिघवा दुबौली थाना बैकुठपुर जनपद जनपद गोपालगंज विहार

बरामदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग....

मु0अ0सं0 008/2026 धारा 60/63/72 EX. act व 319(2)/318(4)/336(3)/338 बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. आफ्टर डार्क ब्लू 180 ML की कुल 140 प्लास्टिक की शीशी
2. ब्लैक बकार्डी 750 ML की कुल 11 बोतल
3. सिग्नेचर 750 ML की कुल 11 बोतल
4. एक अदद टाटा पंच कार न0 BR 28 AF 0689

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. हे0का0 विनोद यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
4. हे0का0 मनोज कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. का0 रितेश यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

एससी/एसटी एक्ट में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकड़ीकोल मोड़ के पास से मु0अ0स0 414/2025 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 3(2)(v) Sc/st Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.शिवम यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी सेमरा खजुहा थाना मधुबन जनपद मऊ 2.मोहन यादव पुत्र झब्बू यादव निवासी ग्राम सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ 3.आयुष यादव पुत्र उमेश यादव निवासी ग्राम बहरीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

अभियुक्त का नाम पता-

1. शिवम यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी सेमरा खजुहा थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष
2. मोहन यादव पुत्र झब्बू यादव निवासी ग्राम सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष
3. आयुष यादव पुत्र उमेश यादव निवासी ग्राम बहरीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 दिलीप पटेल,
3. हे0का0 बुलन्द अख्तर
4. हे0का0 आशुतोष सिंह
5. का0 इन्द्रेश यादव

अंजान व्यक्ति द्वारा पैसा डबल करने क लालच देकर फ्रांड की गयी 25,200/- रु0 कुल धनराशि (पच्चीस हजार दो सौ) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा पैसा डबल करने का विकल्प टोलीग्राम पर देकर फ्रांड की गयी धनराशि 25,200/- रु0 कुल धनराशि (पच्चीस हजार दो सौ रुपये), पीडित विजय कुमार नि0 रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 25,200 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुराधा थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. आरक्षी नीलेश मिश्रा थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. आरक्षी प्रवीण कुमार थाना रामपुर जनपद मऊ।

आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना मधुबन पर मुकदमों से सम्बन्धित 18 अदद दो पहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹ 20500 /- (बीस हजार पांच रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई-

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार मधुबन श्री गौरव प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह की उपस्थिति में आज दिनांक 13.01.2026 को थाना मधुबन पर विभिन्न जनपदों से आये कुल 08 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 18 अदद दो पहिया वाहनों का नीलामी कराकर जीएसटी सहित कुल ₹ 20500/- (बीस हजार पांच रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 8300/- रु0 कुल धनराशि (आठ हजार तीन सौ) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए **यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 8300/-** रु0 कुल धनराशि (आठ हजार तीन सौ रुपये), पीडित धीरज कुमार राय निवासी गोबरीडीह थाना मधबुन जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 8300 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दीपनारायण कुमार (नोडल अधिकारी), थाना मधुबन जनपद मऊ ।

2. म0उ0नि प्रियंका यादव (सहायक नोडल अधिकारी) थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. हेड ऑपरेटर पवन कुमार सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. आरक्षी शिवकुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।
5. महिला आरक्षी प्रतिमा सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।